

अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1 कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. एक्ट) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2021-22 में वैट/बिक्री कर-निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से संबंधित 46 इकाइयों में से 15 (13 राजस्व एवं दो व्यय) के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी। कुल 86,191 कर-निर्धारण मामलों में से 28,627 की लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा में 578 मामलों में ₹ 1,008.36 करोड़ की राशि के कर के अवनिर्धारण/अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (' करोड़ में)
1.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	1	678.22
2.	कर का अवनिर्धारण	93	28.77
3.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	28	7.56
4.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	59	33.37
5.	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनियमित/गलत/ अधिक अनुमति	231	211.45
6.	अन्य अनियमितताएं	150	48.80
	कुल (I)	562	1,008.17
व्यय			
1.	अन्य अनियमितताएं	16	0.19
	कुल (II)	16	0.19
	कुल योग (I+II)	578	1,008.36

विभाग ने 12 मामलों में आवेष्टित ₹ 581.34 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो कि वर्ष के दौरान इंगित की गई थी। विभाग ने वर्ष 2021-22 में 13 मामलों (सभी मामले पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित) में ₹ 0.33 करोड़ वसूल किए।

₹ 691.00 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

2.3 कर योग्य वस्तुओं को कर मुक्त के रूप में मानते हुए गलत कटौती की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर योग्य वस्तुओं के बजाय कर मुक्त बिक्री के रूप में कटौती की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.99 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.77 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

वस्तुओं पर कराधान की दरें हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम की अनुसूची ए से जी के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अधीन, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राह्य है। आगे, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), पंचकुला, पानीपत और सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2020 और जनवरी 2022 के मध्य) से पता चला कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए तीन डीलरों के तीन मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2019 और मार्च 2021 के मध्य) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची सी के अनुसार 5.25 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं के बजाय कर मुक्त बिक्री के रूप में कटौती की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.99 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.77 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, पंचकुला ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जून 2023) कि डीलर का मामला मई 2022 में स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी, पानीपत ने सूचित किया कि मामला पुनर्निर्धारण के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था और पुनर्निर्धारण के बाद ₹ 10.61 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की जा चुकी है। कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत ने तथ्यों को स्वीकार किया और जून 2023 में बताया कि डीलर को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी किए गए हैं।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.4 कम सकल टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय ₹ 36.61 करोड़ के बजाय ₹ 27.97 करोड़ के सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.)/कर योग्य टर्नओवर (टी.टी.ओ.) पर मामलों का कर-निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

कर का भुगतान करने की देयता कर योग्य टर्नओवर पर होती है। कर योग्य टर्नओवर वह

निवल राशि है जो सकल टर्नओवर से निर्धारित कटौती करने के बाद बचती है।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), पानीपत और गुरुग्राम (दक्षिण) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 के मध्य) से पता चला कि दो मामलों में कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2019 और अक्टूबर 2019 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 36.61 करोड़ के बजाय ₹ 27.97 करोड़ के कम कर योग्य टर्नओवर पर मामलों का कर-निर्धारण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर-निर्धारण के लिए कर योग्य टर्नओवर को ₹ 8.64 करोड़ तक कम लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, पानीपत ने सूचित किया कि मामले का पुनर्निर्धारण किया गया था और ₹ 28.01 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा वसूली प्रगति पर थी। गुरुग्राम (दक्षिण) ने मामले को स्वीकार किया और बताया (जून 2023) कि फर्म राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण/परिसमापन के अधीन है तथा पुनर्निर्धारण के लिए परिसमापक के पास नोटिस भेज दिया गया है।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.5 स्टॉक हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक लाभ की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, स्टॉक हस्तांतरण/प्रेषण बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी दावे को गलत वापस कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.04 लाख की कम इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी हुई।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, किसी वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी सामान के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। बिक्री के अलावा किसी अन्य तरीके से निपटाए गए माल पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है। यदि राज्य में खरीदे गए माल का उपयोग या निपटान आंशिक रूप से बिक्री के माध्यम से और आंशिक रूप से स्टॉक हस्तांतरण द्वारा किया जाता है, तो ऐसे माल के संबंध में स्वीकार्य इनपुट टैक्स की गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), पानीपत और गुरुग्राम (दक्षिण) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2021 और दिसंबर 2021 के मध्य) ने दर्शाया कि दो डीलरों का सकल टर्नओवर ₹ 275.25 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसमें से ₹ 232.12 करोड़ मूल्य का सामान उनके द्वारा फॉर्म 'एफ'* के विरुद्ध हस्तांतरित किया गया था। इन हस्तांतरित सामान में 2015-16 और 2017-18 के दौरान ₹ 1.13 करोड़ के वैट के

* फॉर्म 'एफ' का उपयोग अन्य राज्यों में शाखाओं/एजेंटों को माल का हस्तांतरण (कर का भुगतान किए बिना) करने के लिए किया जाता है।

भुगतान के बाद हरियाणा के भीतर खरीदे गए ₹ 24.08 करोड़ मूल्य के सामान शामिल थे। हरियाणा में स्थानीय खरीद सहित इन दो डीलरों द्वारा की गई कुल खरीद ₹ 209.07 करोड़ थी। इस प्रकार, डीलरों द्वारा की गई कुल ₹ 184.99 करोड़ की खरीद ऐसी थी जिस पर हरियाणा में कोई कर नहीं चुकाया गया था और इसलिए वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य नहीं थे। हालांकि, यह देखा गया कि कानून के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, अनुमत इनपुट टैक्स क्रेडिट को आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया गया था और ₹ 28.04 लाख की सीमा तक अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी गई थी।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (दक्षिण) ने सूचित किया कि मामले का पुनर्निर्धारण किया गया था और ₹ 19.22 लाख की आपत्ति की गई राशि के विरुद्ध ₹ 14.10 लाख की राशि वापस की गई थी। कम वापसी होने के कारण उपलब्ध नहीं थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी, पानीपत ने सूचित किया कि डीलर को पुनर्निर्धारण के लिए नोटिस जारी किए जा चुके थे।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करने के कारण अधिक लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अंतरराज्यीय बिक्री के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.91 लाख का अधिक लाभ अनुमत किया गया।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के साथ पठित अनुसूची 'ई', प्रविष्टि 3(बी) के अनुसार, जब माल अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है तो इनपुट टैक्स राज्य में इस तरह के सामान की खरीद पर वास्तव में भुगतान किए गए कर की राशि या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की सीमा तक, जो भी कम हो, स्वीकार्य है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), पानीपत के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2021) ने दर्शाया कि एक डीलर ने ₹ 2.51 करोड़ की खरीदारी दिखाई थी और खरीद मूल्य पर ₹ 35.03 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री के कारण ₹ 10.91 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस किया जाना था। वर्ष 2015-16 के लिए कर-निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2019), कर-निर्धारण प्राधिकारी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न लेने के कारण ₹ 10.91 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ अनुमत किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने सूचित किया (जून 2023) कि मामले का पुनर्निर्धारण किया गया है और ₹ 10.91 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी होने के बाद अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.7 प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के बेमेल होने पर कर के अनुद्ग्रहण के कारण कर का अपवंचन

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरण को सत्यापित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.11 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों, राज्य में आयात, राज्य से बाहर निर्यात या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जो झूठी या गलत है, ऐसा प्राधिकारी उसे, जो कर उस पर निर्धारित किया जाना है या निर्धारित किया जाना देय है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की राशि की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा एवं सही स्वीकार कर लिया जाता।

निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), अंबाला और सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2021 और जनवरी 2022 के मध्य) ने दर्शाया कि तीन डीलरों के मामलों में, निर्धारण वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक पिछले वर्ष के अंतिम स्टॉक के साथ मेल नहीं खाता। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में बिक्री के विवरण को सत्यापित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.11 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, एक मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, अंबाला ने सूचित किया (जून 2023) कि रिमांड मामले का फैसला किया गया था और अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। एक मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत ने सूचित किया (जून 2023) कि पुनर्निर्धारण तैयार किया गया है और अतिरिक्त मांग सृजित की गई है। एक अन्य मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत ने सूचित किया (जून 2023) कि डीलर को पुनर्निर्धारण नोटिस जारी किया गया था।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.8 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर का देरी से भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 96.40 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) के साथ पठित हरियाणा मूल्य वर्धित कर

अधिनियम, 2003 की धारा 14(6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान 90 दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक 90 दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि इस अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्राह्य ब्याज उस कर, जिस पर ऐसा ब्याज प्रभारित किया गया है, का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने पर कर या पेनल्टी की राशि से अधिक नहीं होगा।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2021 और फरवरी 2022 के मध्य) ने दर्शाया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), सोनीपत और जगाधरी के पांच डीलरों ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया था। जबकि वर्ष 2016-17 के लिए कर-निर्धारण तैयार करते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत ने तीन मामलों में ब्याज उद्ग्रहण नहीं किया और एक मामले में कम ब्याज उद्ग्रहण किया था। इसी प्रकार, कर-निर्धारण प्राधिकारी, जगाधरी कर का भुगतान न करने पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इस प्रकार, एक मामले में कम ब्याज उद्ग्रहण करने और चार मामलों में ब्याज का उद्ग्रहण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 96.40 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, सोनीपत और जगाधरी ने बताया (जून 2023) कि मूल आदेशों को संशोधित किया गया था और ब्याज उद्ग्रहीत किया गया था।

जून 2023 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

2.9 वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.9.1 प्रस्तावना

केंद्र और राज्यों द्वारा उद्ग्रहीत और एकत्र किए जाने वाले कई करों का स्थान वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की प्रस्तावना ने ले लिया है। वस्तु एवं सेवा कर, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, प्रत्येक मूल्यवर्धन पर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र एवं राज्य एक साथ समान कर आधार पर वस्तु एवं सेवा कर का उद्ग्रहण करते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी.) राज्य के भीतर आपूर्ति पर उद्ग्रहीत किया जाता है, और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) अंतरराज्यीय आपूर्ति पर उद्ग्रहीत किया जाता है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर (एच.जी.एस.टी.) अधिनियम, 2017 की धारा 59 वस्तु एवं सेवा

कर को स्व-निर्धारण-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अनुसार कर देयता की गणना, गणना की गई कर देयता का निर्वहन और रिटर्न फाइल करने का उत्तरदायित्व करदाता पर निहित है। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न कॉमन वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन फाइल किया जाना चाहिए, अन्यथा जुर्माना देय होगा। भले ही किसी विशेष कर अवधि के दौरान बिजनेस पर कोई कर देय न हो, उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न फाइल करनी होगी। आगे, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61, यह निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जांच की जाए और करदाताओं को विसंगतियों के बारे में सूचित करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) कर अनुपालन के लिए संकल्पित नियंत्रण तंत्र और इस नई कर व्यवस्था में विभाग के निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार करते हुए प्रारंभ की गई थी।

2.9.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख थी। 'वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइल करने में विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी कि:

- i. क्या नियम और प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- ii. क्या विभाग की फील्ड कार्यालयों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

2.9.3 लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर आयोजित की गई थी, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया। डेटा विश्लेषण के माध्यम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण और रिटर्न फाइलिंग डोमेन पर 15 विचलनों की पहचान की गई थी। इस तरह के विचलनों का केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा¹ के माध्यम से अनुपालन किया गया था, जिससे इन विचलनों को संबंधित राज्य के विभागीय फील्ड गठनों को सूचित किया गया था और पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार गठनों द्वारा की गई कार्रवाई को फील्ड विजिटों को शामिल किए बिना सुनिश्चित किया गया। केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा को विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरक किया गया था जिसमें क्षेत्राधिकार फील्ड गठनों में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के

¹ केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाता के विस्तृत रिकॉर्ड जैसे वित्तीय विवरण से संबंधित बही-खाता, बीजक, अनुबंध आदि की मांग करना भी शामिल नहीं था।

लिए फील्ड विजिट शामिल थे। रिटर्न तथा संबंधित अनुलग्नकों और जानकारी को boweb.internal.gst.gov.in पर करदाताओं से संबंधित आंकड़ों/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न और अन्य विभागीय कार्य) की जांच करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के एप्लिकेशन के बैक-एंड सिस्टम के माध्यम से एक्सेस किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं से संबंधित फील्ड गठनों के माध्यम से बीजक जैसे प्रासंगिक विस्तृत अभिलेखों तक पहुंच भी शामिल थी। इसके अलावा, चयनित विभागीय फील्ड गठनों में रिटर्न की जांच जैसे विभागीय गठन के अनुपालन कार्यों की भी संवीक्षा की गई थी।

विभाग द्वारा रिटर्न की जांच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि को शामिल किया गया, जबकि चयनित विभागीय फील्ड गठनों के कार्यों की लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2020-21 की अवधि को शामिल किया गया। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया। फील्ड लेखापरीक्षा सितंबर से नवंबर 2022 तक आयोजित की गई थी।

फील्ड लेखापरीक्षा प्रारंभ करने से पहले, 22 फरवरी 2022 को अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त के साथ एंटी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई थी। प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 27 जून 2023 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रारूप रिपोर्ट के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.9.4 लेखापरीक्षा नमूना

नियोजन के साथ ही वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक सेट शामिल था जिसमें फील्ड विजिट शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना जिसमें फील्ड विजिट और विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जांच शामिल थी; और विभाग के फील्ड गठनों के अनुपालन कार्यों के निर्धारण के लिए विभाग के फील्ड गठनों का नमूना भी शामिल था।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे:

(i) भाग I - विभागीय फील्ड गठनों की लेखापरीक्षा (उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त)

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए मामलों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर क्षेत्राधिकार वाले नौ² विभागीय फील्ड गठनों को उनके निगरानी कार्यों के निर्धारण के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नमूने के रूप में माना गया था।

² अंबाला, फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), गुरुग्राम (पश्चिम), सिरसा और सोनीपत।

(ii) भाग II - केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के निर्धारण के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों के अनुसार उच्च-मूल्य अथवा उच्च-जोखिम विचलनों और रिटर्नों के मध्य विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए नमूना चुना गया था। तदनुसार, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में 15 आयामों के अनुसार केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए 428 करदाताओं का चयन किया गया था।

(iii) भाग III - विस्तृत लेखापरीक्षा

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए विभाग के फील्ड गठनों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों को एक्सेस करके विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। 'विस्तृत लेखापरीक्षा' के लिए करदाताओं का नमूना इनपुट टैक्स क्रेडिट में असंगति, कर देयता में असंगति, कुल टर्नओवर के अनुपातहीन छूट वाले टर्नओवर और अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर चुना गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए नौ जिलों से बड़े, मध्यम और छोटे स्तर³ के करदाताओं को मिलाकर 38 करदाताओं का चयन किया गया था।

2.9.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान तालिका 2.2 में दिए गए हैं।

तालिका 2.2: मानदंड का स्रोत

क्र.सं.	विषय	अधिनियम एवं नियम
1	उद्ग्रहण और संग्रहण	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5(3)
3	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेना और उसका उपयोग करना	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 से 25; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 8 से 26
5	कर का भुगतान	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
6	वस्तु एवं सेवा कर की रिटर्न फाइल करना	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81. हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों का भाग-बी रिटर्न का प्रारूप निर्धारित करता है।
7	निर्धारण एवं लेखापरीक्षा कार्य	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय XII और XIII के अंतर्गत धारा 61, 62, 65 और 66; हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102

³ विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूने में से बड़े स्तर के 61 प्रतिशत करदाताओं का टर्नओवर ₹ 20 करोड़ से अधिक, मध्यम स्तर के 29 प्रतिशत करदाताओं का टर्नओवर ₹ तीन करोड़ एवं ₹ 20 करोड़ के मध्य और छोटे स्तर के 10 प्रतिशत करदाताओं का टर्नओवर ₹ तीन करोड़ से कम था।

इसके अतिरिक्त, रिटर्न फाइल करने, विभिन्न रिटर्न फाइल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, रिटर्न फाइल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, माल और सेवाओं पर कर की दरों, कर भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और उसका उपयोग करना, रिटर्न की जांच और कर अनुपालन की निगरानी से संबंधित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.)/आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र और मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जिसमें रिटर्न फाइल करने, रिटर्न की जांच, लेखापरीक्षा, पंजीकरण निरस्त करने और कर अनुसंधान इकाई (टी.आर.यू.) रिपोर्ट आदि के सत्यापन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय कार्यालयों को निर्देश शामिल हैं लेखापरीक्षा मानदंड का भी हिस्सा बने।

2.9.6 लेखापरीक्षा की उपलब्धियां

लेखापरीक्षा उपलब्धियों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. रिटर्न फाइल करने पर निगरानी
2. कर भुगतान पर निगरानी

2.9.7 रिटर्न फाइल करने पर निगरानी

रिटर्न एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाता द्वारा की गई बिजनेस गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट विशेष का एक विवरण है। प्रत्येक करदाता एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता और निर्धारित समय के भीतर भुगतान किए गए करों की घोषणा करते हुए एक पूर्ण और सही रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्व-निर्धारण व्यवस्था में, करदाताओं द्वारा रिटर्न फाइल करने की निगरानी का महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि रिटर्न करदाताओं और उनसे संबंधित व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

2.9.7.1 रिटर्न फाइल करने पर निगरानी तंत्र

नमूने के रूप में चुने गए नौ⁴ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कामकाज से संबंधित लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा रिटर्न फाइल करने पर निगरानी तंत्र को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो अभिलेख और न ही आंकड़े प्रदान किए गए थे। हरियाणा राज्य के लिए boweb.internal.gst.gov.in के माध्यम से एम.आई.एस. रिपोर्ट से डेटा निकालने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-21 में 41,617 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल न करने वालों में से 26,772 पर कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3ए नोटिस केवल 14,845 रिटर्न फाइल न करने वालों को जारी किए गए थे। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न फाइल न करने वालों को नोटिस जारी करने और उसके बाद उक्त व्यक्ति के उचित अधिकारी द्वारा कर देयता के निर्धारण सहित निगरानी तंत्र सभी उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में राजस्व की सुरक्षा के लिए कम था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2023), विभाग ने आश्वासन दिया कि उत्तर लेखापरीक्षा को

⁴ अंबाला, फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), गुरुग्राम (पश्चिम), सिरसा और सोनीपत।

प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2024)।

2.9.7.2 रिटर्न फाइल न करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

राज्य स्तर पर समय स्थिति

क. **उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की लेखापरीक्षा का परिणाम:** हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 में प्रावधान है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए में पंद्रह दिनों के भीतर रिटर्न फाइल करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा। यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है और फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकता है। रिटर्न फाइल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यो की नियत तिथि एक ही है, जिसका अर्थ है रिटर्न फाइल न करने वालों के मामले में कर/जुर्माने का भुगतान न करने का जोखिम।

boweb.internal.gst.gov.in पर एम.आई.एस. रिपोर्ट पर उपलब्ध डेटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि विभाग ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए राज्य में रिटर्न फाइल न करने वालों के 41,617 मामलों की पहचान की थी। तथापि, 2019-20 तक रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और 2020-21 में केवल 14,845 मामलों में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3ए नोटिस जारी किए गए। कई अनुरोधों के बाद भी, ए.एस.एम.टी.-13 जारी करने से संबंधित डेटा या अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

यह इंगित किए जाने पर (मई 2023), विभाग ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर दिया (जून 2023) कि कर अनुसंधान इकाई (टी.आर.यू.) विंग द्वारा पहचाने गए सभी करदाताओं, जिन्होंने मार्च 2022 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, को विभिन्न निरस्तीकरण अभियान द्वारा सफलतापूर्वक निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने यह भी बताया कि boweb.internal.gst.gov.in पोर्टल से लिया गया डेटा सटीक नहीं है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह केवल कर अनुसंधान इकाई विंग द्वारा पहचाने गए करदाताओं को निरस्त करने के बारे में बताता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता ने कर देयताओं का निर्वहन किया है, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 के अंतिम रिटर्न को बाद में फाइल करने के मामले को पहचाना नहीं गया है। आगे, ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 फाइल नहीं की गई थी, विभाग को रिटर्न फाइल न करने वालों के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपना अपेक्षित था। इसके अलावा, विभाग के रुख के संबंध में कि boweb.internal.gst.gov.in पोर्टल से लिया गया डेटा सटीक नहीं था, विभाग ने कोई प्रमाण नहीं दिया जो डेटा के सटीक न होने के दावे को प्रमाणित कर सके।

विभाग से एंटी कॉन्फ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा के संचालन हेतु मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने

का अनुरोध किया गया था। लेखापरीक्षा ने विभाग से विशेष रूप से ए.एस.एम.टी.-13 के बारे में जानकारी मांगी थी। कई अनुस्मारकों के बावजूद, ए.एस.एम.टी.-13 से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जून 2023 में एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग से सभी लंबित लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने का पुनः अनुरोध किया गया था। तथापि, अनुरोधित अभिलेख प्रदान नहीं किए गए थे (जून 2024)।

अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए रिटर्न फाइल न करने वालों/देर से रिटर्न फाइल करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विभाग द्वारा अपनाए गए समग्र तंत्र पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

2.9.7.3 पंजीकरण निरस्त करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 20 के साथ पठित हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29, करदाता द्वारा कुछ परिस्थितियों जैसे बिजनेस का बंद होना, टर्नओवर का पंजीकरण की सीमा से कम होना, बिजनेस का स्थानांतरण/विलय/ एकीकरण, स्थाई खाता संख्या में बदलाव, निर्धारित समय अवधि के भीतर बिजनेस शुरू न होना और मालिक की मृत्यु होने पर पंजीकरण निरस्त करने की अनुमति देती है। पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को 'निरस्तीकरण की गारंटी देने वाली घटना के घटित होने' के 30 दिनों की अवधि के भीतर वस्तु एवं सेवा कर सामान्य पोर्टल पर आर.ई.जी.-16 में आवेदन करना चाहिए।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29(2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन, कंपोजिशन करदाताओं द्वारा लगातार तीन कर अवधियों के लिए रिटर्न फाइल न करने, सामान्य करदाता लगातार छः माह की अवधि तक रिटर्न फाइल न करने, पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण की तिथि से छः माह के भीतर बिजनेस शुरू न करने और धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को छिपाकर पंजीकरण प्राप्त करने के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः निरस्त करने की अनुमति प्रदान करती है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार (क) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या (ख) कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति (धारा 10) या (ग) धारा 51-कर संग्रह स्रोत (टी.सी.एस.) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों या धारा 52-स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों, जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, से अन्य प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि या निरस्तीकरण आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन माह के भीतर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 में अंतिम रिटर्न फाइल करनी अपेक्षित है। अंतिम रिटर्न का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बकाया देयता का निर्वहन कर दे। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 फाइल न करने के मामले में, कर अधिकारी को उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो किसी भी रिटर्न को फाइल न करने के लिए अपनाई जाती है।

चयनित नौ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के संबंध में boweb.internal.gst.gov.in पोर्टल

पर उपलब्ध डेटा के अनुसार लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान 49,380 पंजीकृत व्यक्तियों ने पंजीकरण निरस्त करने का अनुरोध किया था। इसी अवधि के दौरान, विभाग ने 55,990 पंजीकरणों को स्वतः निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया था। ऐसे कुल 1,05,370 निरस्तीकरण मामलों में से 90,231 मामलों में पंजीकरण निरस्त करने और स्वतः संज्ञान निरस्त करने के आदेश जारी किए गए, 7,290 मामलों में कार्यवाही बंद कर दी गई और 7,849 मामलों में कार्रवाई लंबित थी। तथापि, इस डेटा के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था।

यह जांच करने के लिए कि क्या निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों ने आवेदन की तिथि तक अपना रिटर्न फाइल किया था, करदाताओं के 49,380 मामलों में से चयनित नौ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में 54 मामलों का नमूना चुना गया। यह पाया गया कि जिन आवेदकों ने निरस्तीकरण के लिए अनुरोध किया था, उन्होंने आवेदन की तिथि तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया था और आवेदन करने से पहले अपनी देयताओं का पूरा भुगतान कर दिया था। आवेदन की तिथि के बाद, करदाताओं के डेटाबेस में कोई और लेनदेन दिखाई नहीं दे रहा था।

आगे, निरस्त किए गए मामलों में फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 के लिए विभाग द्वारा कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई समग्र प्रणाली तथा ऐसे निरस्तीकरण मामलों के विरुद्ध लंबित कार्रवाई पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

यह इंगित किए जाने पर (मई 2023), एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया (जून 2023) कि वे मामले की जांच करेंगे।

2.9.7.4 कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों पर कार्रवाई का अभाव

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की लेखापरीक्षा के परिणाम:

कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों का अनुपालन न करना

(i) आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा ने वस्तु एवं सेवा कर डेटा का अध्ययन, व्याख्या और विश्लेषण करने और विभाग के अनुसार विभिन्न हितधारकों के साथ परिणाम साझा करने के उद्देश्य से कर अनुसंधान इकाई (टी.आर.यू.) का गठन किया। कर अनुसंधान इकाई ने कई पहचाने गए जोखिम मापदंडों के आधार पर करदाताओं पर रिपोर्ट तैयार करके काम करना शुरू कर दिया। कर अनुसंधान इकाई करदाताओं की सूची तैयार करने के लिए उत्तरदायी थी जिसे बाद में विभाग द्वारा जांच के लिए लिया गया था। फील्ड कार्यालयों अर्थात् उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को ऐसी रिपोर्टों पर कार्रवाई करनी अपेक्षित थी। संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा उचित सत्यापन के बाद, अनुपालन को वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कर अनुसंधान इकाई विंग ने वर्ष 2017-18 के लिए 6,423 मामले, 2018-19 के लिए 2,937 मामले और 2019-20 के लिए 3,732 मामले उप-आबकारी एवं

कराधान आयुक्तों के पास संवीक्षा के लिए भेजे थे। वर्ष 2017-18 के लिए 6,423 जांच मामलों में 98 करदाता शामिल थे जिन्हें केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूने में भी शामिल किया गया था। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए जांच के लिए चुने गए मामलों में से केवल 24.90 प्रतिशत और 4.62 प्रतिशत मामले ही बंद किए गए थे। वर्ष 2019-20 के जांच के मामले मई 2023 में कर अनुसंधान इकाई विंग द्वारा साझा किए गए थे और उन पर बाद में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया (जून 2023) कि कर अनुसंधान इकाई विंग द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के आधार पर विभाग ने फर्जी/गैर-मौजूद करदाताओं, रिटर्न फाइल न करने वालों आदि पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर-राज्य की खुफिया इकाई (आई.यू.) द्वारा अप्रैल 2021 से आज तक (जून 2023) 369.34 करोड़ की वसूली की गई।

तथापि विभाग ने अप्रैल 2021 से कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए कर अनुसंधान इकाई विंग द्वारा जांच के लिए सूचित मामलों को लिया जाए और प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए क्योंकि वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की समय-सीमा 30 सितंबर 2023 है।

(ii) अभिलेखों का रखरखाव

कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों पर सत्यापन और कार्रवाई के लिए फील्ड गठनों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण उपाय है। सभी नौ नमूना उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में, कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों के सत्यापन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस प्रकार, लेखापरीक्षा कर अनुसंधान इकाई की रिपोर्टों पर नमूना उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा किए गए सत्यापन की गुणवत्ता और सीमा पर प्रणालीगत आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

2.9.8 कर भुगतानों की निगरानी

अनुपालन जोखिम प्रबंधन सक्रिय कार्रवाई की मांग करने वाली सतत प्रक्रिया है। रिटर्न फाइल करने और कर प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी के साथ, न केवल विभिन्न स्तरों पर कर भुगतान पर निगरानी रखी जा सकती है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा दखल न देने वाला और बेहतर लक्षित भी हो सकता है। लेखापरीक्षा उपलब्धियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.9.8.1 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियां - केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जी.एस.टी.एन. द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न

के मध्य नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 15 मापदंडों के सेट पर की गई, जिन्हें मुख्य तौर पर दो डोमेन अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तेरह निर्धारित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न⁵ में से सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल रिटर्न पर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न/डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और मेल न होने की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था:

- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1: माल और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न तथा इसमें माल और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी: हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ दावा किए गए बाहरी आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश रिटर्न फाइल किया जाना है। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को पोप्युलेट करता है।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 6: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मासिक रिटर्न जो उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 8: ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न, जिन्हें अक्टूबर 2018 में शुरू किए गए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत स्रोत पर एकत्र कर (टी.सी.एस.) में कटौती करना अपेक्षित है।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आई.एस.डी.), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के साथ-साथ टर्नओवर और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फार्म। यह मूल रूप से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में फाइल वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के मध्य एक समाधान विवरण है।

⁵ वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4 (कंपोजिशन योजना के अनुसार करदाता), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-5ए (अनिवासी ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति (ओ.आई.डी.ए.आर.) सेवा प्रदाता), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 (इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-7 (टी.डी.एस. काटने वाले करदाता), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (वार्षिक रिटर्न), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-10 (अंतिम रिटर्न), वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-11 (यूआईएन रखने वाला और रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति), कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन (सी.एम.पी.)-08, और इनपुट टैक्स क्रेडिट-04 (किसी जॉब-वर्कर को भेजे गए/प्राप्त किए गए सामान के विवरण के बारे में प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा फाइल किया जाने वाला विवरण)।

- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का सिस्टम-जनरेटेड विवरण है। इसमें उनके वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1/5 फॉर्म में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेन का विवरण, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-7 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 से विवरण और एंटी बिल पर विदेशों से माल के आयात का विवरण शामिल है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आईसीईजीएटीई पोर्टल से प्राप्त हुआ है।

पंद्रह पहचाने गए मापदंडों और देखे गए विचलनों/असंगतियों की सीमा (परिशिष्ट-VI) पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित नमूना मामलों का अखिल-हरियाणा डेटा विश्लेषण तालिका 2.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.3: अखिल-हरियाणा डेटा विश्लेषण का सारांश

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
डोमेन: इनपुट टैक्स क्रेडिट				
1	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	अपने सभी संशोधनों के साथ वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए के अंतर्गत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना तालिका-4ए(5) में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) के साथ की गई थी, तालिका-4बी(2) में रिवर्सल को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसमें आगामी वर्ष 2018-19 से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका-8सी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी शामिल किया गया था।	50	536.77
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में कर का भुगतान	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं था, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी के भीतर जांच प्रतिबंधित थी, तालिका-4ए(2) और 4ए(3) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में तालिका-3.1(डी) में कर का निर्वहन किया गया था।	50	39.67
3	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका 4जी (देय कर) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं था, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका-4(ए) (2) और 4ए(3) से की गई थी।	20	7.12
4	इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका-6जी या वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका 4(ए)(4) में हस्तांतरित इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तुलना प्राप्तकर्ता वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका-9ए के योग से की गई थी।	25	18.45
5	गलत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट रिवर्सल	प्राप्तकर्ताओं के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9, तालिका-7बी/7एच की तुलना उनके वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 रिटर्न की तालिका-8ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) और तालिका 9ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) के योग से की गई थी।	5	0.05
6	वित्तीय विवरणों में खर्चों के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-14टी में धनात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-15 में दिए गए कारणों की जांच	25	1,970.43

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
डोमेन: इनपुट टैक्स क्रेडिट				
7	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-12एफ में धनात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-13 में दिए गए कारणों की जांच	25	261.14
8	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मेल न होना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-5आर में ऋणात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-6 में दिए गए कारणों की जांच	50	3,995.41
9	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-7जी में ऋणात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-8 में दिए गए कारणों की जांच	29	594.19
10	लेखा-बहियों और रिटर्न के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होना	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी, तालिका-9आर में ऋणात्मक आंकड़े और बेमेल के लिए तालिका-10 में दिए गए कारणों की जांच	50	131.77
11	गैर-निपटान देयताएं	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 (तालिका 4 से 11) और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (तालिका- 4एन, 10 और 11) के मध्य कर देयता की अधिकता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किए गए कर विवरण से की गई। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी कर भुगतान की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 देयता से की गई। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 एवं 9 में घोषित संशोधन एवं अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	25	557.31
12	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे कंपोजीशन करदाता	टी.सी.एस. प्रावधान प्रभावी होने पर 01.10.2018 से ई-कॉमर्स वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 प्रभावी हो गई। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-8 में घोषित वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या जो कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4 भी फाइल कर रहे हैं।	23	0
13	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की गई थी लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 उपलब्ध है	वे करदाता जिन्होंने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं की थी, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 फाइल की थी या जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए उपलब्ध था, यह दर्शाता है कि करदाताओं ने कर का भुगतान किए बिना बिजनेस किया था।	25	22.81
14	ब्याज का कम भुगतान	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल करने में देरी पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में घोषित ब्याज की तुलना में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई है।	25	14.21
15	स्टाप फाइलर्स	जिन करदाताओं ने लगातार छः से अधिक कर अवधियों के लिए रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया था और इसलिए उनका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता था, उनके लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया था।	1	.0018
	कुल		428	8,149.33

2.9.8.2 विभाग द्वारा केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा मामलों का उत्तर प्रस्तुत न किया जाना

केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए, कुल 428 नमूने चुने गए थे और इन चयनित मामलों के लिए लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए थे। 428 विसंगतियों में से 367 के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, जिनमें ₹ 7,350.02 करोड़ (टर्नओवर के बेमेल सहित) की राशि शामिल थी, विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: ऐसे मामले जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		प्रतिशतता	
		संख्या	बेमेल राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7
1	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	50	536.77	44	483.25	88	90
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में कर का भुगतान	50	39.67	46	36.56	92	92
3	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट	20	7.12	15	6.10	75	86
4	इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	25	18.45	19	17.56	76	95
5	गलत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट रिवर्सल	5	0.05	4	0.04	80	80
6	वित्तीय विवरणों में खर्चों के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान	25	1,970.43	21	1,653.51	84	84
7	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना	25	261.14	22	239.75	88	92
8	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मेल न होना	50	3,995.41	45	3,741.78	90	94
9	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना	29	594.19	25	525.28	86	88
10	लेखा-बहियों और रिटर्न के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होना	50	131.77	43	124.19	86	94
11	गैर-निपटान देयताएं	25	557.31	21	485.59	84	87
12	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे कंपोजीशन करदाता	23	0	13	0	57	लागू नहीं
13	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की गई थी लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 उपलब्ध है	25	22.80	24	22.55	96	99
14	ब्याज का कम भुगतान	25	14.21	24	13.87	96	98
15	स्टाप फाइलर्स	1	.0018	1	.0018	100	100
	कुल	428	8,149.33	367	7,350.02	86	90

जैसा कि अगले पैराग्राफ में बताया गया है, विसंगतियों को अनुपालन विचलन में बदलने की समय दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों के सत्यापन में तेजी लाना अपेक्षित है। इन 367 मामलों में से शामिल धन मूल्य के संदर्भ में शीर्ष दस मामलों का विवरण तालिका 2.5 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 2.5: शीर्ष दस धन मूल्य-वार मामले जहां प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	क्षेत्राधिकार	बेमेल राशि
1	06XXXXXXXXXX1ZR	सोनीपत	801.29
2	06XXXXXXXXXX1ZD	रेवाड़ी	391.18
3	06XXXXXXXXXX1Z8	गुरुग्राम (उत्तर)	263.96
4	06XXXXXXXXXX1ZW	गुरुग्राम (पश्चिम)	190.33
5	06XXXXXXXXXX1ZC	फरीदाबाद (दक्षिण)	186.60
6	06XXXXXXXXXX1ZM	सोनीपत	157.68
7	06XXXXXXXXXX1ZY	गुरुग्राम (पूर्व)	154.04
8	06XXXXXXXXXX1Z5	फरीदाबाद (पश्चिम)	148.38
9	06XXXXXXXXXX1ZH	गुरुग्राम (पूर्व)	147.69
10	06XXXXXXXXXX1ZA	गुरुग्राम (पश्चिम)	144.03
	कुल		2,585.18

2.9.8.3 केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा प्रश्नों पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, अनुपालन विचलन में परिवर्तित 15 मापदंडों में से प्रत्येक की सीमा को तालिका 2.6 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.6: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम		वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	कुल		
जिन मामलों में उत्तर प्राप्त हुआ		संख्या	6	4	5	6	1	4	3	5	4	7	4	10	1	1	0	61	
		राशि	53.52	3.11	1.02	0.89	0.01	316.92	21.39	253.63	68.91	7.58	71.72	0	0.26	0.35	0	799.31	
विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया	डेटा प्रविष्टि त्रुटि	संख्या	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	
		राशि	14.00	0.51	0.18	0.35	0	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	0	0	16.12
	पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई	संख्या	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	2	1	7	0	1	0	16
		राशि	9.6	1.99	0	0.26	0	0	0	0	21.56	0	2.69	16.41	0	0	0.35	0	52.86
	अन्य मान्य स्पष्टीकरण	संख्या	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		राशि	0	0	0	0	0	49.53	2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.11
अनुपालन विचलन	विभाग द्वारा उन मामलों सहित स्वीकृत, जहां कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई है	वसूली की गई	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	संख्या	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		राशि	0	0	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.27
	ए.एस.एम.टी.-10	संख्या	2	2	3	0	1	2	1	3	4	3	3	3	3	1	0	0	28
		राशि	14.83	0.61	0.57	0	0.01	229.94	15.54	193.51	68.91	3.34	55.31	0	0.26	0	0	0	582.83
	पत्राचार के अधीन	संख्या	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		राशि	0	0	0	0	0	0	3.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.27

लेखापरीक्षा आयाम		वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	कुल
विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं (खण्डन)	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2	2	4	0	1	2	2	3	4	3	3	3	1	0	0	30
	राशि	14.83	0.61	0.84	0	0.01	229.94	18.81	193.51	68.91	3.34	55.31	0	0.26	0	0	586.37
विभाग का उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया	संख्या	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4
	राशि	11.58	0	0	0	0	37.45	0	38.56	0	0.47	0	0	0	0	0	88.06
विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर रहे हैं	संख्या	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	राशि	3.51	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.79

2.9.8.4 केंद्रीकृत (लिमिटेड) लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने डेटा में 61 विसंगतियों/बेमेल में से 30 मामलों (कारण बताओ नोटिस जारी, ए.एस.एम.टी.-10, पत्राचार मामलों के अंतर्गत) में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जिसमें ₹ 586.37 करोड़ के कम उद्ग्रहण/टर्नओवर में मेल न होना शामिल था, जो उत्तरों के साथ कुल मामलों की तुलना में विचलन का 49.18 प्रतिशत था जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान की (परिशिष्ट VIII)। इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति में मेल न होना, टर्नओवर घोषणाओं में मेल न होना और कम कर भुगतान आदि जैसे जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

24 मामलों (डेटा प्रविष्टि त्रुटि, लेखापरीक्षा प्रश्न से पहले की गई कार्रवाई और अन्य वैध स्पष्टीकरण) में, 39.34 प्रतिशत मामले जहां उत्तर प्राप्त हुए थे, विभाग ने 16 मामलों में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था।

तीन मामलों में, जो कुल प्राप्त उत्तरों के 4.92 प्रतिशत हैं, विभाग ने बताया कि वह ₹ 3.79 करोड़ के अंतर्निहित विचलन/बेमेल की जांच कर रहा था। शेष चार मामलों में, जो 6.56 प्रतिशत हैं और जिनमें ₹ 88.06 करोड़ शामिल थे। विभाग का उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि इसका तर्क साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं था।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के लिए उच्च मूल्य के मामले (ए.एस.एम.टी.-10, कारण बताओ नोटिस और करदाता के साथ पत्राचार के अंतर्गत) के मामलों से संबंधित अनुपालन विचलन का विवरण नीचे तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के लिए उच्च मूल्य का मामला

क्र. सं.	आयाम	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	क्षेत्राधिकार सर्कल	बेमेल (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
1	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	06XXXXXX XXXX1Z0	हिसार	11.41	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में कर का भुगतान	06XXXXXX XXXX1ZG	हिसार	0.33	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
3	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट	06XXXXXX XXXX1Z9	भिवानी	0.27	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया
4	इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	06XXXXXX XXXX1ZJ	करनाल	0.16	लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर रहे हैं
5	गलत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट रिवर्सल	06XXXXXX XXXX1ZE	हिसार	0.01	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
6	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान (14टी)	06XXXXXX XXXX1ZE	पानीपत	194.17	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
7	वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना (12एफ)	06XXXXXX XXXX1ZW	हिसार	15.54	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
8	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मेल न होना	06XXXXXX XXXX1ZW	हिसार	105.5	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
9	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना	06XXXXXX XXXX1Z6	मेवात	19.04	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया

क्र. सं.	आयाम	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	क्षेत्राधिकार सर्कल	बेमेल (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
10	लेखा-बहियों और रिटर्न-9सी तालिका 9आर के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होना	06XXXXXX XXXX4ZQ	करनाल	1.64	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
11	गैर-निपटान कर देयताएं	06XXXXXX XXXX1Z0	भिवानी	23.9	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
12	ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे कंपोजीशन करदाता	06XXXXXX XXXX1ZH	कुरुक्षेत्र	0	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
13	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की गई थी लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 उपलब्ध है	06XXXXXX XXXX1ZI	फरीदाबाद (दक्षिण)	0.26	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
	कुल	13 मामले		372.23	

उपर्युक्त तालिका से उदाहरणात्मक मामलों की नीचे व्याख्या की गई है:

(i) **वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट**

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए खरीद संबंधी गतिशील कर रिटर्न है जो वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा प्रत्येक बिजनेस के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होती है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी मासिक रिटर्न है जिसमें घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्वयं घोषित किया जाता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अंतर्गत भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। अपनाई गई पद्धति वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए के अंतर्गत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की उसके सभी संशोधनों के साथ और तालिका 4ए (5)⁶ में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तालिका 4बी (2)⁷ में रिवर्सल पर करते हुए लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 8सी से अनुवर्ती वर्ष 2018-19 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी शामिल करते हुए तुलना करनी थी। लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिसार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1Z0 है, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए के अनुसार ₹ 4.43 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य था और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी में प्राप्त किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 15.84 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.41 करोड़ की राशि के प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान नहीं हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया था।

यह मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

⁶ अन्य सभी योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट।

⁷ रिवर्स किए गए अन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट।

(ii) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में कर का भुगतान

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं की कुछ श्रेणियों या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार पंजीकृत करदाताओं द्वारा फाइल की जाने वाली वार्षिक रिटर्न है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) इकाइयों और एस.ई.जेड. डेवलपर्स सहित नियमित करदाता थे। करदाताओं को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए रिफंड या सृजित मांग आदि का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के अंतर्गत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 से संबंधित डेटासेट की तुलना यह जांच करने के लिए की गई थी कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित था। अपनाई गई पद्धति में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी तालिका 3.1(डी)⁸ में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 तालिका 6सी⁹, 6डी¹⁰ और 6एफ¹¹ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ तुलना करना था। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, जांच को वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के भीतर प्रतिबंधित कर दिया गया था, जहां आर3बी तालिका 3.1 (डी) में कर छूट वाले हिस्से की तुलना आर3बी 4ए (2)¹² और 4ए (3)¹³ के इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ वाले हिस्से से की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिसार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZG है, के मामले में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर भुगतान किया गया कर ₹ शून्य था जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (तालिका 6डी) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 0.33 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर प्राप्त ₹ 0.33 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान नहीं हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जुलाई 2022) कि करदाता को ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

⁸ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी)।

⁹ अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी होती हैं।

¹⁰ रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।

¹¹ सेवाओं का आयात।

¹² सेवाओं का आयात।

¹³ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी)।

यह मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(iii) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी/वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट

वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का समकक्ष कर देयता का निर्वहन किए बिना लाभ उठाने की सीमा या दूसरे शब्दों में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर के कम भुगतान का विश्लेषण वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 से संबंधित डेटासेट की तुलना करके यह जांच करने के लिए किया गया था कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत गतिविधियों/ट्रांजेक्शनों पर कर पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 फाइल की गई थी, तालिका 4जी¹⁴ में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतानों की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी तालिका 3.1(डी)¹⁵ में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतानों की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी 4(ए) (2)¹⁶ और 4ए (3)¹⁷ से की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भिवानी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1Z9 है, के मामले में करदाता ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (तालिका 6सी) में ₹ 0.44 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (तालिका 4जी) में कर का भुगतान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत ₹ 0.17 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर भुगतान किए गए कर का ₹ 0.27 करोड़ तक मिलान नहीं हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(iv) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आई.एस.डी.) द्वारा हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मेल न होने का विश्लेषण करने के लिए, करदाता के रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उनके वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 में हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई है। अपनाई गई पद्धति में

¹⁴ आवक आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना है।

¹⁵ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज लगाए जाने के लिए उत्तरदायी)।

¹⁶ सेवाओं का आयात।

¹⁷ वस्तुओं और सेवाओं के आयात के अलावा रिवर्स चार्ज लगाए जाने चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति।

इस राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6जी¹⁸ या वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी की तालिका 4(ए)(4)¹⁹ की तुलना संबंधित इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 की तालिका 5ए²⁰, तालिका 8ए²¹ और तालिका 9ए²² के योग से करनी थी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, करनाल के अधिकार क्षेत्र में एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZJ है, के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6जी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 0.16 करोड़ था और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-6 तालिका (5ए+8ए+9ए) में हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ शून्य था। इसके परिणामस्वरूप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ₹ 0.16 करोड़ की राशि तक बेमेल हो गया। यह इंगित किए जाने पर (जून 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (फरवरी 2023) कि मामला जांच के अधीन था।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(v) वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान (14टी)

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 14 वार्षिक रिटर्न (वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9) में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा-बहियों के अनुसार खर्चों पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी मिलान न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80 (3) के अंतर्गत अपेक्षितानुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए खर्चों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZE है, के मामले में यह पाया गया था कि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी रिटर्न की तालिका 14टी में ₹ 194.17 करोड़ का मिलान नहीं हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित किया गया था। यह इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि

¹⁸ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट।

¹⁹ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आवक आपूर्ति।

²⁰ कर अवधि के लिए योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का वितरण।

²¹ पुनः प्राप्त की गई और वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना।

²² गलत प्राप्तकर्ता को वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनर्वितरण।

ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(vi) वार्षिक रिटर्न और लेखा-बहियों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल न होना (12एफ)

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 12एफ वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण या लेखा-बहियों के मध्य मिलान न हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट को दर्शाती है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत अपेक्षितानुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिसार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZW है, के मामले में यह पाया गया था कि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी रिटर्न की तालिका 12एफ में ₹ 15.54 करोड़ का मिलान न हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित किया गया था। यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(vii) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मेल न होना

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 सी की तालिका 5 लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर का वार्षिक टर्नओवर (वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9) में घोषित टर्नओवर के साथ मिलान है। इस तालिका का कॉलम 5आर वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए टर्नओवर को कैप्चर करता है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत अपेक्षितानुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए टर्नओवर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था। ऐसे मामलों, जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है, में मिलान न हुई राशि गैर-रिपोर्टिंग, अंडर-रिपोर्टिंग, कम-रिपोर्टिंग, चूक, आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि के कारण कर के अपवंचन या कम भुगतान को इंगित करती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों की गैर-रिपोर्टिंग का मामला भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिसार के

क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZW है, के संबंध में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 5आर में ₹ 105.50 करोड़ की राशि का मिलान न हुआ टर्नओवर है। यह इंगित किए जाने पर (जून 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(viii) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मेल न होना

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 7जी वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित मिलान न हुए कर योग्य टर्नओवर को कैप्चर करती है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मेवात के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या- 06XXXXXXXXXXI6 है, के मामले में यह पाया गया था कि वित्तीय विवरण में राशि की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 7जी में ₹ 19.04 करोड़ की मिलान न हुई कर योग्य टर्नओवर की राशि की सूचना दी गई थी। यह इंगित किए जाने पर (जून 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(ix) वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9आर में मिलान न हुई कर देयता

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9 टर्नओवर दर को अलग करके और वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के अंतर्गत डिस्चार्ज किए गए कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर का मिलान करती है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, करनाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX4ZQ है, के मामले में, यह पाया गया था कि वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 9आर के मध्य भुगतान किए गए कर में ₹ 1.64 करोड़ की राशि का मेल नहीं था। यह इंगित किए जाने पर (जून 2022), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(x) गैर-निपटान कर देयताएं

चुकाई न गई कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था और इन रिटर्नों में देय कर की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में घोषित भुगतान किए गए कर से की गई थी। जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 उपलब्ध नहीं थी, वहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मध्य देय कर की तुलना का सहारा लिया गया था। इस उद्देश्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और 9 में घोषित संशोधन और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया था।

एल्गोरिथ्म के लिए, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 की तालिका 4 से 11 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया था। कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के मध्य अधिक कर देयता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर भुगतान के साथ की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के मामले में, तालिका 3.1(ए)²³ और 3.1(बी)²⁴ को ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भिवानी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1Z0 है, के मामले में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹ 25.52 करोड़ था और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में ₹ 1.62 करोड़ का कर भुगतान किया गया था क्योंकि करदाता ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 फाइल नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.90 करोड़ की कर देयता का कम भुगतान हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(xi) कर देयता का निर्वहन न करना जहां वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की गई थी लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 उपलब्ध है

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत, करदाता द्वारा फाइल किए गए विभिन्न रिटर्नों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए और रिटर्नों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी रिटर्न एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से देयता की भरपाई की जाती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान

²³ जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, निल रेटेड और छूट प्राप्त के अलावा)।

²⁴ जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड)।

बिजनेस तो किया लेकिन अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनियमित रूप से आगे बढ़ाने के मामले भी शामिल हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद (दक्षिण) के अंतर्गत एक करदाता, जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या-06XXXXXXXXXX1ZI है, के मामले में करदाता ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी फाइल नहीं की और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में कर देयता ₹ 0.26 करोड़ घोषित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.26 करोड़ की कर देयता का कम भुगतान हुआ। उत्तर में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया (जनवरी 2023) कि ए.एस.एम.टी.-10 जारी कर दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

2.9.9 प्रेरक कारकों का विश्लेषण

428 मामलों में से 61 मामलों पर विभाग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, डेटा विचलन/असंगतता के कारणों पर नीचे चर्चा की गई है।

2.9.9.1 वस्तु एवं सेवा कर कानून और नियमों से विचलन

उपर्युक्त तालिका 2.6 में संक्षेपित 61 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 586.37 करोड़ के टर्नओवर/कर प्रभाव में बेमेल वाले 30 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है या जांच शुरू कर दी है। इन मामलों में से, विभाग ने ₹ 0.27 करोड़ के लिए एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ₹ 582.83 करोड़ के लिए 28 मामलों में फॉर्म ए.एस.एम.टी.-10 में करदाता को विसंगतियों के बारे में नोटिस जारी किया है और संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार किया है या एक मामले में ₹ 3.27 करोड़ के कर प्रभाव का डीआरसी-01ए जारी किया है। आगे, चार मामलों में, विभाग के उत्तरों में ₹ 88.06 करोड़ की राशि के प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे और ₹ 3.79 करोड़ की राशि के तीन मामले जांच के अधीन थे। छः मामले ₹ 16.12 करोड़ की डेटा एंट्री त्रुटियों से संबंधित थे। शीर्ष तीन स्वीकृत मामलों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: विभाग द्वारा शीर्ष तीन मामले स्वीकृत या कार्रवाई शुरू की गई

क्र. सं.	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	क्षेत्राधिकार	आयाम	बेमेल टर्नओवर/ कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
1	06XXXXXXXXXX1ZE	पानीपत	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान (14टी)	194.17	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
2	06XXXXXXXXXX1ZJ	करनाल	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान (14टी)	35.76	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
3	06XXXXXXXXXX1Z0	भिवानी	गैर-निपटान कर देयता	23.90	ए.एस.एम.टी.-10 जारी किया गया
	कुल			253.83	

2.9.9.2 करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियां

डेटा प्रविष्टि त्रुटियां कुल प्राप्त 61 प्रतिक्रियाओं में से 9.84 प्रतिशत (छ: मामले) थी और 25 प्रतिशत मामले जहां विभाग की प्रतिक्रियाओं (24 मामले) को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इन डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था और इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होने तथा वार्षिक लेखों और रिटर्नों के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होने से संबंधित था। शीर्ष दो मामले जहां डेटा प्रविष्टि त्रुटियां देखी गईं, तालिका 2.9 में वर्णित हैं।

तालिका 2.9: शीर्ष दो मामले जहां डेटा प्रविष्टि त्रुटियां देखी गई थी

जिला का नाम	वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या	विषय/ अवलोकन	श्रेणी	विभाग का उत्तर
सोनीपत	06XXXXXX XXXX1ZR	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में बेमेल ₹ 14 करोड़	इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल	उत्तर में उचित अधिकारी ने बताया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के 8सी में गलत तरीके से ₹ 14,22,748/- के बजाय ₹ 14,14,22,748/- का आंकड़ा दर्शाया गया था जैसा कि 3बी में दर्शाया गया है। तथापि, 3बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई बेमेल लाभ नहीं मिला।
जौद	06XXXXXX XXXX1ZS	वार्षिक रिटर्न (9सी की तालिका 9आर) लेखा-बहियों के मध्य भुगतान किए गए कर में मेल न होना ₹ 1.08 करोड़	7 (9आर)	विभाग ने बताया कि यह एक लिपिकीय गलती के कारण था कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर देय ₹ 12,96,786/- के बजाय ₹ 1,20,96,786/- दर्शाया गया था। इसी प्रकार, 9सी की तालिका 9ए में दर्ज राशि ₹ 1,35,36,600/- के स्थान पर ₹ 13,56,600/- थी।

सिस्टम ने ऐसी डेटा प्रविष्टि त्रुटियों की अनुमति दी, जिन्हें उचित सत्यापन नियंत्रण से टाला जा सकता था।

2.9.10 लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पहले की गई कार्रवाई

उपर्युक्त तालिका 2.6 में संक्षेपित किए गए अनुसार, विभाग ने पहले ही 16 मामलों में कार्रवाई कर ली है, जो प्राप्त 61 प्रतिक्रियाओं में से 26.23 प्रतिशत है। शीर्ष तीन उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, जिन्होंने सक्रिय रूप से विचलन/असंगतियों को संबोधित किया था, उन्हें तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई - जिलेवार

क्षेत्राधिकार	जारी किए गए प्रश्नों की कुल संख्या	लेखापरीक्षा प्रश्न से पहले की गई कार्रवाई	प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं	प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुईं	लेखापरीक्षा प्रश्न से पहले की गई कार्रवाई की प्रतिशतता
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फतेहाबाद	03	03	03	0	100
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरसा	06	03	03	03	50
उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, जौद	02	01	02	0	50

(स्रोत: संकलन)

2.9.11 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-निर्धारण व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए कुशल कर प्रबंधन तंत्र की स्थापना और रखरखाव करना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, प्रभावी कर प्रबंधन के लिए, कानून का अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाहरी लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, अखिल भारतीय डेटा विश्लेषण के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई थी। समीक्षा के इस भाग के लिए 38 करदाताओं का जोखिम-आधारित नमूना चुना गया था (*परिशिष्ट VIII*)। अपनाई गई पद्धति शुरू में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न तथा वित्तीय विवरणों और बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा करने के लिए थी ताकि बेमेल/असंगतियों/विचलनों और रेड फ्लैग की पहचान की जा सके। डेस्क समीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय में की गई थी। डेस्क समीक्षा के परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के कारण कारक की पहचान करने तथा करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए फील्ड कार्यालयों के माध्यम से करदाताओं के वित्तीय बही-खाता, चालान आदि जैसे संबंधित अभिलेखों की मांग करके हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के फील्ड गठनों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी।

पिछले अनुच्छेदों में बताए गए अनुसार, विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और रेड फ्लैगों की पहचान करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न और अन्य मूल अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसके बाद करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन की सीमा और की गई कार्रवाई की पहचान करने के लिए राज्य के फील्ड गठनों द्वारा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई थी। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन अंततः फाइल रिटर्न की सत्यता, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन को प्रभावित करता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को क) रिटर्न ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग और ग) कर देयता का निर्वहन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

2.9.11.1 कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेख प्रस्तुत न करना)

प्रस्तुत न करना: बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट और बेमेल कर देयता से संबंधित जोखिमों की पहचान की। इनपुट टैक्स क्रेडिट आयाम पर, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न

3बी की वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के साथ तुलना करके तथा वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं से विसंगतियों की पहचान की गई। कर देयता आयाम पर, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी की वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के साथ तुलना करके बेमेल की पहचान की गई। लेखापरीक्षा ने संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त के माध्यम से करदाताओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता का मेल न होने के लिए कारण कारक की जांच हेतु अपेक्षित विस्तृत अभिलेखों जैसे चालान, नोट्स और अनुसूचियों के साथ वित्तीय विवरण, डेबिट/क्रेडिट नोट, लेनदार की सूची, पूरक वित्तीय बही-खाता, समझौते की प्रतियां आदि की मांग की।

सभी 38 मामलों से संबंधित विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ में अनियमित/मेल न होने और ₹ 199.93 करोड़ की बकाया देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तार से जांच नहीं की जा सकी। इनपुट टैक्स क्रेडिट/कर देयता के संगत मेल न होने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का विवरण **परिशिष्ट IX** में दिया गया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (मई 2023)। उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 2023)।

2.9.12 रिटर्न

38 करदाताओं के नमूने द्वारा फाइल की गई रिटर्नों की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि एक करदाता द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

2.9.12.1 करदाता द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा किए गए 38 मामलों में से एक मामला (2.63 प्रतिशत) में करदाता ने देरी से रिटर्न फाइल की थी और ₹ 0.08 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया था।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता, वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या - 06XXXXXXXXXX1ZZ के मामले में, यह पाया गया था कि करदाता ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए अपने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी को ₹ 0.08 करोड़ की ब्याज राशि की देयता का निर्वहन किए बिना 192 दिन से 435 दिन तक की देरी से फाइल किया है।

मामला विभाग और राज्य सरकार को इंगित किया गया (मई 2023), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

2.9.12.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) है, जिनका उपयोग बिजनेस के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति

पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 और 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए योग्यता और शर्तें निर्धारित करती हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग राज्य वस्तु एवं सेवा कर/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और राज्य वस्तु एवं सेवा कर/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 36 से 45 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उसे वापस करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। उन मामलों, जिनमें लेखापरीक्षा ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और कर देयता के निर्वहन में मेल नहीं पाया, का विवरण तालिका 2.11 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका 2.11: इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग में मेल न होना

क्र. सं.	मानदंड	मामलों की संख्या	सर्कलों की संख्या	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम रिवर्सल, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 के 7एच में किया गया रिवर्सल ₹ 1.32 करोड़ था और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 तालिका 5डी और तालिका 5ई/3बी की छूट वाली आपूर्ति के अनुसार परिकलित रिवर्सल ₹ 16.25 करोड़ था (परिशिष्ट-X)।	11	5	14.93	विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।
2	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 तालिका 6जी और वितरित इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में इनपुट सर्विस वितरण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में मेल न होना (परिशिष्ट-XI)।	01	01	0.19	
3	सभी संशोधनों के साथ वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-2ए के अंतर्गत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 (जो भी अधिक हो) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 458.15 करोड़ था और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 2ए में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 322.32 करोड़ था (परिशिष्ट- XII)।	31	08	135.84	
4	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर देयता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी के अंतर्गत देय कर से की गई थी (परिशिष्ट-XIII)।	02	02	0.02903	
5	फॉर्म 9सी की तालिका 12एफ (मिलान न हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट) वार्षिक रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के वित्तीय विवरण में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य मिलान न हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैप्चर करती है। वार्षिक रिटर्न में प्राप्त मिलान न हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट (फॉर्म 9सी की तालिका 12एफ) (परिशिष्ट-XIV)।	13	07	18.73	
6	पूजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्स न होना। इसके लिए कर योग्य और छूट/शून्य आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले पूजीगत सामान के बदले में 6ए में परिकलित रिवर्सल से तालिका 7सी, 7डी या 7एच के इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल कम नहीं होने चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 तालिका 7डी रिवर्सल के साथ परिकलित की गई (परिशिष्ट-XV)।	01	01	0.04	
7	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6ए में दर्शाए गए अनुसार 3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 की तालिका 6आई में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मध्य अंतर की तुलना की गई (परिशिष्ट-XVI)।	06	02	2.44	
	कुल			172.20	

2.9.12.3 कर देयता का निर्वहन

वस्तु एवं सेवा कर के मामले में कर योग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9, उक्त हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतरराज्यीय आपूर्ति पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर नामक कर लगाने और संग्रहण को अधिकृत करने वाली धारा है, और कर की दर प्रत्येक अधिनियम, अर्थात् केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर 40 प्रतिशत की अधिकतम दर के साथ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाने और संग्रह करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास निहित है।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अंतर्गत, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की सभी अंतरराज्यीय और अंतःराज्यीय आपूर्ति पर उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(4) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर रिवर्स चार्ज लगाने का प्रावधान करती है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

सभी संशोधनों और समायोजनों के साथ वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में घोषित देय कर वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी से अधिक नहीं होना चाहिए। कर देयता और कर देयता के कम निर्वहन के संबंधित मामलों की पहचान करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में घोषित कर देयता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी की कर देयता के साथ की गई थी। निर्वहन न की गई कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 से निकाले गए प्रासंगिक डेटा का विश्लेषण किया गया था और इन रिटर्नों में देय कर की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-9 में घोषित भुगतान किए गए कर से की गई थी। निर्वहन न की गई कर देयता के परिणामों के विवरण तालिका 2.12 में दिए गए हैं।

तालिका 2.12: कर देयता के निर्वहन से संबंधित बेमेल

क्र. सं.	मानदंड	मामलों की संख्या	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की संख्या	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में घोषित कर देयता की तुलना वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 9 की कर देयता और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न 3बी में भुगतान किए गए कर से की गई थी ताकि कर योग्य टर्नओवर पर निर्वहन न की गई कर देयता की पहचान की जा सके (परिशिष्ट-XVII)	25	6 ²⁵	27.65	उत्तर प्रतीक्षित था।

²⁵ अंबाला, फरीदाबाद (उत्तर), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम (दक्षिण), गुरुग्राम (पश्चिम) और सोनीपत।

2.9.12.4 विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने विस्तृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत फील्ड गठनों में विभाग को और निरीक्षण कार्यों के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को 242 अभ्युक्तियां जारी की थी, विभाग ने इनमें से किसी भी अभ्युक्ति का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के निरीक्षण कार्यों से संबंधित मुख्य अभ्युक्तियों के उत्तर एग्जिट कॉन्फ्रेंस के समय प्रदान किए गए थे। विभाग द्वारा समय पर उत्तर प्रस्तुत करने से लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में मदद मिलती है।

2.9.13 मानव संसाधन: संवर्धन और उपयोग आदि

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन से बड़े पैमाने पर और अभिन्न आधार पर कर संरचना और प्रौद्योगिकी को अपनाने में महत्वपूर्ण बदलाव आए। वस्तु एवं सेवा कर के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने में मूलभूत घटक मानव संसाधन है। वस्तु एवं सेवा कर में कई प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें प्रौद्योगिकी संचालित अवसंरचना, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना, एक प्रभावी विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करना शामिल है जिसके लिए वस्तु एवं सेवा कर की क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए अनुरूप रूप से सुसज्जित मानव संसाधन घटक अपेक्षित है। वस्तु एवं सेवा कर के विकसित होने के साथ सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कर प्रबंधन के कौशल सेटों को लगातार उन्नत करना और बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा।

लेखापरीक्षा ने हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर विंग में तैनाती के लिए पदनाम के साथ कार्मिकों/कार्यालयों की संख्या और वस्तु एवं सेवा कर विंग के सुचारु कामकाज के लिए स्टाफ को प्रदान किए गए प्रशिक्षणों की संख्या से संबंधित जानकारी मांगी थी (सितंबर 2022)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया (जून 2023) कि विभागीय अधिकारियों के लिए अप्रैल 2022 से विभिन्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर विंग में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों की वर्तमान स्थिति तालिका 2.13 में दी गई है।

तालिका 2.13: मानव संसाधन का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यशील संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त	7	3	4	57.14
2	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त	13	12	1	7.69
3	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त	41	37	4	9.76
4	आबकारी एवं कराधान अधिकारी	225	196	29	12.89
5	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी	157	116	41	26.11
6	कराधान निरीक्षक	720	518	202	28.06
	कुल	1,163	882	281	24.16

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि निर्णायक प्राधिकारी के संबंध में पदों में रिक्ति 7.69 प्रतिशत से 57.14 प्रतिशत तक है। आगे, सहायक कर्मचारियों के संबंध में रिक्त पद 26.11 प्रतिशत से 28.06 प्रतिशत के मध्य थे। पर्याप्त मैनपावर के अभाव ने विभाग की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो रिटर्नों की जांच की धीमी गति, पंजीकरण निरस्त करने के मामलों में कार्रवाई की कमी आदि से स्पष्ट है।

2.9.14 निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) रिटर्न फाइलिंग की अलग-अलग प्रवृत्ति और निरंतर डेटा विसंगतियों के संदर्भ में रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों की निगरानी में सिस्टम की पर्याप्तता का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसने 2017-18 के लिए फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्नों में जोखिम क्षेत्रों, रेड फ्लैगों और कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलनों एवं तार्किक विसंगतियों को प्रकट किया था।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में विभागीय फील्ड गठनों और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न पर गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर राज्य क्षेत्राधिकार संरचना के निरीक्षण कार्यों का निर्धारण करना शामिल था, जिसमें करदाता अभिलेखों तक पहुंच शामिल थी।

लेखापरीक्षा नमूने में नौ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चुने गए 15 मापदंडों में 428 उच्च मूल्य विसंगतियां और वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्नों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम निर्धारण पर चुने गए 38 करदाता शामिल थे।

लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों के 428 मामलों में से विभाग ने केवल 61 मामलों पर प्रतिक्रिया दी। इनमें से 30 मामले, जो 49.18 प्रतिशत हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेल न होना, देयता निर्वहन में मेल न होना और टर्नओवर में मेल न होना से संबंधित ₹ 586.37 करोड़ की विसंगतियों/अनुपालन कमियों के निकले। डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण 9.84 प्रतिशत (छ: मामले) में ₹ 16.12 करोड़ की विसंगतियां हुईं। जिन 61 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया था, उनमें से 29.51 प्रतिशत (18 मामले) में ₹ 104.97 करोड़ की राशि शामिल थी, विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई कर दी थी। तथापि, विभाग ने विसंगतियों के 367 मामलों का उत्तर नहीं दिया है।

वस्तु एवं सेवा कर रिटर्नों की विस्तृत लेखापरीक्षा में भी महत्वपूर्ण विसंगतियों का पता चला। सभी 38 चयनित नमूना मामलों में बीजक, वित्तीय विवरण के साथ-साथ नोट्स और शेड्यूल, डेबिट/क्रेडिट नोट, लेनदारों की सूची जैसे आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दायरा सीमित हो गया। ये मामले इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ और कर भुगतानों में पहचाने गए बेमेल में ₹ 199.93 करोड़ के बेमेल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को रिटर्न फाइल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, पंजीकरण निरस्त करने और डिफॉल्टरों से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.9.15 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए ए.एस.एम.टी.-13 जारी करके रिटर्न फाइल न करने वालों और निरस्त किए गए मामलों के विरुद्ध कार्रवाई की पूर्णता सुनिश्चित करना;
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई 367 विसंगतियों और विचलनों, जिनके उत्तर नहीं दिए गए हैं, पर तुरंत कार्रवाई करना और परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित करना;
- वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न/डेटा के मध्य विचलन, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए परिमंडलों में नियमित मासिक सत्यापन और प्रणाली जनित जांच के माध्यम से संस्थागत तंत्र को मजबूत करना;
- डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जांच की सुविधा के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में सत्यापन नियंत्रण शुरू करना;
- इस प्रतिवेदन में दर्शाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय-सीमा समाप्त होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना; और
- लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए त्वरित कार्रवाई करने तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने फील्ड गठनों को निर्देश देना।